सत्यमेव जयते

भारत सरकार,

पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,

क्षेत्रीय कार्यालय { मध्य क्षेत्र }

******

नोडल अधिकारी/वन संरक्षक
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग
पत्रांक 5597 दि. 11/3/05
1जी नैनी

पंचम तल, केन्द्र
सैक्टर एच,
लखनऊ-
दूरभाष-२३
फैक्स-२

पत्रा सं0 8बी / यू.सी.पी / 09 / 26 / 2005 / एफ.सी. 11823

दिनॉक : 01/03

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उत्तरांचल शासन,
देहरादून ।

विषय : जनपद नैनीताल में राजीव गॉधी नवोदय विद्यालय कोटाबाग की स्थापना हेतु 2.02 हे0 (संशोधित 2.168 हे0) वन भूमि का शिक्षा वि हस्तांतरण ।

सन्दर्भ : नोडल अधिकारी, उत्तरांचल का पत्रांक 9985 / 1जी–838 (नैनी0) दिनॉक 01.02.2005 ।

******

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्र वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी है ।

अतः राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र जनपद नैनीताल में राजीव गॉधी नवोदय विद्यालय कोटाबाग की स्थापना हेतु 2.168 हे0 वन भूमि का शिक्षा विभाग को हस्तांतरण की स्वीकृ शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करती है :–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।
2. याचक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा 4.336 हे0 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसका रख–रख जायेगा ।
3. याचक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्य स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण किया जायेगा ।
4. याचक विभाग द्वारा जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा
5. याचक विभाग जमा की गयी शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि को राज्य सरकार क्षतिपूरक वृक्षारोप एवं योजना संस्था (Compensatory Afforestration, Management and Planning Agenc हस्तांतरित करेगी ।
6. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार नहीं पहुँचाई जायेगी ।
7. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा ।
8. राज्य सरकार द्वारा लगायी गयी अन्य शर्तें, यदि कोई हो तो उनका अनुपालन किया जायेगा ।

भवदीय,

{ एस0एम0 सहाय }
उप–वन संरक्षक { केन्द्रीय }

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निदेशक एफ.सी., पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तरांचल ।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर ।
4. आदेश पत्रावली ।

03/03

{ एस0एम0 सहाय }
उप–वन संरक्षक { केन्द्रीय }

11/3